

06.2.2016 जनार्ण शाहीवकर, उपाध्यक्ष, विद्यार्थी
मैला 1, 2 व 3/4 की क्रांति के वहीद
की कल्याण नगर द्वारा वापसनाप
सम इकाणी जावाय वेप रिमा गमा

शिकशिक इकाणी
प्रकाशिक (0.0.2)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतस

471/2025

जो श्राद्ध सिद्ध हो। शेष विधायी कावचों
तारीखी के उपाधिकार नहीं होने के कारण
विधायी के सिद्ध फलपत्री कार्यावली की जारी
है। अतएव उपाधिकार आधीवक्ताओं
की वरुण मुरी गते। दोसरे वरुण आधी
आधीवक्ता ने निवेदन किया की आधी व
विधायी की कार्यावली श्राद्ध काद साधनों
की करी की करी करुण ताकर 294 व
295 कुल क्षेत्रफल 14.7710 है अतएव श्राद्ध
के उपाधिकार हैं, अतएव आधी की उपाधिकार नाद
रेखा सिद्ध द्यु है, अतएव वास्तविक नाद
रेखा सिद्ध है अतः आधी का आधीवक्ता पत्र
श्रीवक्ता कीदा अतएव नादिक अनुभव आधी
का नाद अतएव कीदा अतएव। आधी आधीवक्ता
ने निवेदन किया की आधी का नाद अतएव
अतः आधी वर कार्यावली नहीं है।

अतएव उपाधिकार आधीवक्ताओं की वरुण अतएव
अतः अतएव अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः
का अतएव अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः
श्राद्ध अतएव अतः 294 व 295 के आधी
व आधी अतः 1 व 2 के आधी अतः
3। 4 व 5 के आधी अतः अतः अतः
है, अतएव आधी का नाद अतः अतः
अतः आधी के नाद अतः, अतः अतः
अतः अतः अतः अतः अतः अतः
अतः अतः अतः अतः अतः अतः
अतः अतः अतः अतः अतः अतः
अतः अतः अतः अतः अतः अतः
अतः अतः अतः अतः अतः अतः

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रीख
क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

करने के दौरान अशुद्ध नाम प्रविष्टि दर्ज हो गई थी, जो दुरुस्त होगी।
इसके अलावा अशुद्ध नाम के विद्यमान आंकड़ा 1 व 2 एवं 3/4 की ओर से प्रमाणित वास्तविक नाम रिकॉर्ड स्वीकार कर सुकवाली प्राप्त होना कर रहा है। इस प्रकार प्राप्त होने पर उपरोक्त दस्तावेजी प्रमाण लभते के आधार पर अशुद्ध नाम स्वीकार होगा।

सुकवाली प्राप्त नाम का अशुद्ध नाम स्वीकार किया जाकर ग्राहक सातों की वही तहकीकत वाली जो खेत रजिस्ट्रार क्रम 294 व 295 वृत्त क्षेत्रफल (14.7710) है अशुद्ध नाम के संपत्ति रिकॉर्ड में अशुद्ध नाम प्रविष्टि रिकॉर्ड के रजिस्ट्रार पर अशुद्ध प्रविष्टि रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। तहकीकत वाली वाली को अशुद्ध नाम दिया है जो तहकीकत संपत्ति - रिकॉर्ड में रिकॉर्ड 294 क्रम क्रम में जाना सुनिश्चित करने पर सुकवाली प्रमाण प्रमाणित होकर दाखिल होगा।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा